

29-19

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादी-
 गण में से कोई अपाक्षित नहीं। और-
 नाही वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी
 भी अपाक्षित नहीं। बार-बार आवाज
 लगावार्ड हुई। फिर भी कोई उप-
 नहीं हुआ। अतः पत्रावली अदालत फरवी
 व अदालत बजरी में खारिज की
 गयी है। पत्रावली फरसल सुमाए से
 नम्बर से कम की जाकर दाखिल
 दफ्तर है (2)

उपखण्डाधिकारी
 बादी (धौलपुर) राज०